—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 40/2014

उनवान

1. मुकेश कुमार जिन्दल पुत्र महेश चन्द जिन्दल जाति अग्रवाल निवासी म.न. 224 सदर बाजार, नसीराबाद

——प्रार्थी :—जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
2. सहायक भू—प्रबन्ध अधिकारी महोदय, अजमेर।
3. अजय पुत्र किशनगोपाल
4. अमित पुत्र किशनगोपाल
5. ओमप्रकाश पुत्र जयकिशन
6.कैलाशचंद पुत्र सांवरियालाल
7. गोविन्द नारायण पुत्र कल्याणमल
8. चन्द्रप्रकाश पुत्र कल्याणमल
9. जगदीश पुत्र सांवरियालाल
10.जयकिशन दत्तक पुत्र हीरालाल
11. ज्योति पुत्री शिवप्रसाद
12.दीनदयाल पुत्र जयकिशन
13.दिपीका पुत्री शिवप्रसाद
14. नरेश पुत्र रामगोपाल
15. नवीन पुत्र गीता पत्नि बालमुकन्द
16.नारायणी पत्नि रामगोपाल
17. निशान्त दत्तक पुत्र भंवरलाल
18.पवन कुमार पुत्र सांवरिलाल
19. बालमुकन्द पुत्र सीता पत्नि बालमुकन्द
20. भगवती पुत्री जयकिशन
21. मुन्नीदेवी पत्नि किशनगोपाल
22. मुरलीधर पुत्र जयकिशन
23. श्रीमती रूणमणी पत्नि भंवरलाल
24. रेखा पुत्री भंवरलाल
25. रूपचन्द पुत्र शिवप्रसाद
26. राजेश पुत्र रामनिवास
27. रामनारायण पुत्र रामनिवास
28. विजय पुत्र किशनगोपाल
29. विनोद कुमार पुत्र सांवरियालाल
30. विशाल पुत्र किशनगोपाल
31. विष्णु प्रकाश पुत्र सांवरियालाल

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:04:20 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

32. श्याम सुन्दर पुत्र सांवरियालाल
33. शिवरतन पुत्र रामगोपाल
34. संगीता पुत्री सीता पत्नि बालमुकन्द
35. संतोष पत्नि शिवप्रसाद
36. सुप्रिया पुत्री शिवप्रसाद
37. सुलेख पुत्री शिवप्रसाद
38. सीता पुत्री भंवरलाल
39. सीताराम पुत्र कल्याणमल
40. हरविलास पुत्र रामगोपाल
41. हरीश पुत्र रामनिवास
42. श्रीमती प्रेमदेवी पुत्री सांवरियालाल
43. मुकेश कुमार पुत्र महेशचन्द
44. महेश पत्नि बालमुकन्द
45. रामगोपाल पुत्र श्योकिशन
46. सतवन्ती पुत्री देवकरण
47. सूरज कंवर पुत्री सांवरियालाल समस्त जातिगण महाजन माहेश्वरी निवासीगण दिलवाड़ा तहसील नसीराबाद

——अप्रार्थीगण :— 1 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: आदेश :— दिनांक :— 18.11.25

प्रकरण माननीय संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर के न्यायालय से इन निर्देशो के साथ प्राप्त हुआ है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर देते हुये आराजी मुतनाजा से लगते हुये अन्य भूमिधारको को सुनवाई का अवसर देकर विधि अनुकुल निर्णय पारित करे। अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बारापत्थर में स्थित आराजी प्रार्थी की कयशुदा है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

हाल ख.न.	रकबा	वंर्किग ख.न.	रकबा	चौसाला ख.न.	रकबा
119	0.33	87 मिन	0.33	66	1—12—10
109	0.10	87 मिन	0.10	82	1—00—10
117	0.39	100	0.13	88	1—12—10
		101	0.26	89	1—12—10

उपरोक्त आराजी वर्तमान नक्शे में दर्ज पाल खसरा नम्बर 119 रकबा 0.33 व खसरा नम्बर 109 रकबा 0.10 का रिकार्ड अनुसार कुल रकबा 0.43 दर्ज है, जबकि मौका अनुसार पाल की रकबा बरारी करने पर कुल रकबा 0.69 बनता है जो कि तुलनात्मक रूप से 0.26 कम है जो हाल खसरा नम्बर 117 का ही भाग है। उपरोक्त खसरा नम्बर का वंर्किग नक्शे से मिलान नही होता है। अतः हाल राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती चाही है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को ज[illegible]ना[illegible] तलब किया गया। प्रकरण विचारण के दौरान माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों के [illegible] में निबद्ध व्यक्तियों को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से 47 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:04:20 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के आदेश क्रमांक/उखन/राजस्व/13/02 दिनांक 9.01.2013 द्वारा ग्राम बारापत्थर के खसरा नम्बर 117 रकबा 0.39 में से रकबा 0.26 को गै.मु. पाल व शेष रकबें 0.13 को बारानी 3 राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किये गये। हाल राजस्व अभिलेख अनुसार खसरा नम्बर 117 रकबा 0.39 श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के आदेशानुसार आवासरीय कॉलोनी प्रोजेक्ट के लिये संपरिवर्तित हो गयी है। अतः उक्त आदेश की पालना संभव नही है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। पूर्व में हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.16 में आराजी मुतनाजा आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित होने के कारण खारिज किया गया। उक्त आदेश की अपील सक्षम न्यायालय में दर्ज होने पर माननीय न्यायालय द्वारा हाजा न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया है तथा आदेश में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय को धारा 131, 132 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व नक्शें में इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का प्रावधान है। पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की दिनांक 18.12.12 की रिपोर्ट अनुसार वंर्किग जमाबंदी व चौसाला जमाबंदी की तुलना में हाल खसरा नम्बर 117 रकबा 0.39 में से रकबा 0.26 गै.मु. पाल तथा 0.13 बारानी था, जिसे वर्तमान रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित है। हाल खसरा नम्बर 119 की सीमा हाल खसरा नम्बर 126 की उत्तर पूर्व पाल तक होनी चाहिये शेष पाल जो उतर पूर्व की ओर खसरा नम्बर 128 व 129 के उतर में हाल खसरा नम्बर 117 का ही भाग है। जिसमें से 0.26 गै.मु. पाल है। तथा सीमा दिलवाडा से लगता हुआ क्षेत्र 0.13 बारानी 2 होना उचित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा के हाल राजस्व मानचित्र का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण है। वादग्रस्त सम्पदा आवासीय प्रयोजनार्थ होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित नही है। आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण होने से उसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थीगण प्रकरण मे अनुपस्थित रहे है। राजस्व मानचित्र दुरूस्त करने से अप्रार्थीगण के हित प्रभावित नही होते है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 119, 109 व 117 के हाल व वंर्किग राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटी को उक्तानुसार राजस्व मानचित्र में दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। आराजी मुतनाजा बाबत पूर्व में पारित संपरिवर्तन आदेश के साईट प्लान व दर्शाये गये पहुच मार्ग में किसी प्रकार का परिवर्तन नही हो। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:04:20 IST
Reason: SelfAttested